


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

१२ ३९०९-I-१६

(८०)

आट. ८०-८०  
१८-११-१६



८०-८०-८०  
१८-११-१६

१. श्रीमती पूर्णिमा मेहरोत्रा पत्नी श्री राजकृष्ण मेहरोत्रा
२. श्रीमती संध्या मेहरोत्रा पत्नी श्री संजीव मेहरोत्रा

Ramya  
दोनों निवासी उन्नत पुल के पास ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा

आट. ८०-८०-८०  
८०-८०-८०  
१८-११-१६

३. श्रीकृष्ण मेहरोत्रा तनय श्री रामकृष्ण खत्री निवासी ग्राम बरही जिला

कटनी म०प्र०

-----आवेदकगण

बिरुद्ध

१. मध्यप्रदेश राज्य
२. क्षेत्रीय प्रमुख खनिज संशाधन विभाग म०प्र० संचनालय भूमि तथा  
खनिजकर्म

३. जुगुलकिशोर कनौडिया तनय श्री राधाकृष्ण कनौडिया निवासी जय स्तंभ  
चौक ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०

४. नानकराम काकवानी तनय स्व० गोपालदास काकवानी
५. घनश्यामदास काकवानी तनय स्व० गोपालदास काकवानी
६. जवाहरलाल काकवानी तनय स्व० गोपालदास काकवानी
७. श्रीमती इश्वरी खत्री पुत्री स्व० गोपालदास काकवानी

क्रमांक 4 ता 7 निवासी पुराना बस स्टैण्ड तहसील हुजूर जिला रीवा

म०प्र०

४. श्रीमती प्रभा मेहरोत्रा पत्नी श्री जयकृष्ण मेहरोत्रा

## 9. आशीष मेहरोत्रा तवय श्री जयकृष्ण मेहरोत्रा

⑩ कमांक 8. व 9 निवासी महदेवा तहसील रघुराज नगर छिला सतना (मृप्त) मेसर्स राष्ट्रपति गण सत्याग्रह रविका द्वारा, मराठा दलजीत सहित केस मिट्ट लालित देवेंद्र राज कुलकर्णी लिखा (मृप्त)-अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू

## राजस्व संहिता बिरुद्ध आदेश कलेक्टर जिला

## रीवा मोप्र० के प्रकरण क्रमांक

०८/अ-७४/स्व प्रेरणा निगरानी/२०१५-१६

जो आदेश दिनांक 08.11.16 मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08.11.16 सर्वथा

विधि विधान एवं व्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त

किए जाने योग्य है।

2. अधीनस्थ व्यायालय में आवेदिका क्रमांक-1,2 के द्वारा ख प्रेरणा

विगरानी के संबंध में जो सुनवाई संबंधी प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग

करके अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक-3 के प्रभाव में आकर

तानाशाही कार्यवाही किया जा रहा था जिस कार्यवाही को माननीय

राजस्व मंडल में चुनौती दी गई जो निगरानी प्रकरण कमांक

1555 || 2016 मे आदेश दिनांक 20.05.16 के अनुसार मानवीय


# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3909-एक/2016

जिला रीवा

पूर्णिमा विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 08/अ-74/स्वप्रेरणा निगरानी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे।</p>	 (बी.एम.शर्मा) सदस्य